

प्रकरण सं० २५०/१७ अनवान.....

Continuation Note Sheet

२८-१२-१७

वादी द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र प्रेषण कर मूल वाद में कोई कार्यवाई नहीं चाहने पर मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाई शेष नहीं बचती। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। दिनांक १६-०६-१७ को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निस्तृत किया जाकर पत्रावली फ़ैसलखुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

(यशपाल भादुजा)
उपखण्ड अधिकारी (सजसब)
श्रीगंगानगर

AT

जि. ए. ए. सि. ए.